



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

दिनांक 15 जनवरी 2022 को आयोजित वित्त समिति की 63वीं बैठक (आपात) का कार्यवाही विवरण


वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 63वीं बैठक (आपात) दिनांक 15 जनवरी 2022 को विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित गांधी भवन में मध्याह्न पूर्व 11.15 बजे आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-


1. प्रो० (डा०) आर०एल० गोदारा , कुलपति,वमखुवि, कोटा	अध्यक्ष
2. श्री लोकेन्द्र सिंह, कोषाधिकारी,कोटा(प्रति. अति.मु.सचिव,वित्त विभाग,राज.सरकार)	सदस्य
3. डॉ० मोहम्मद नईम (प्रति. सचिव,उच्च शिक्षा राज.सरकार)	सदस्य
4. प्रो० बी० अरुण कुमार, (प्रबंध मंडल द्वारा मनोनीत)	सदस्य
5. डॉ० गोपाल सिंह, (प्रबंध मंडल द्वारा मनोनीत)	सदस्य
6. डॉ० जे०के० शर्मा, निदेशक, क्षे०के०, वमखुवि,जयपुर।	सदस्य
7. डॉ० मो०अख्तर खान, नियंत्रक वित्त,वमखुवि,कोटा।	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन के निर्वतमान सदस्य डा० दिलिप कुमार शर्मा का कार्यकाल पूर्ण होने पर आभार व्यक्त किया गया एवं नवनियुक्त सदस्य डा० जे०के० शर्मा का स्वागत करते हुए सदन के अन्य सदस्यों से उनका परिचय करवाया गया। तदुपरांत आपात बैठक आयोजित किए जाने के कारणों से सदन को अवगत करवाया गया एवं कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय किए गए:-

63/01 वित्त समिति की दिनांक 07.08.22 को सम्पन्न 62वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही।

सदन को अवगत करवाया गया कि 62वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है,प्रबंध मंडल के अनुमोदन उपरांत 62वीं बैठक के निर्णयों की अनुपालना की जाएगी। सदन द्वारा 62वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी पुनः सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया, इस क्रम में सदन के समक्ष वित्त समिति की 62वीं बैठक के कार्यवाही विवरण से सदन को पुनः अवगत करवाया गया। सदन द्वारा उक्त जानकारी को सदन द्वारा नोट किया गया।





63/02

विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान एवं वर्ष 2021-22 का संशोधित बजट अनुमान अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

नियंत्रक वित्त द्वारा बजट प्रावधानों के सम्बन्ध में विस्तृत बजट नोट के माध्यम से सदन को बजट सम्बन्ध प्रावधानों के सम्बन्ध में मदवार विस्तृत जानकारी प्रदान किए जाने के बाद पटल पर प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान एवं वर्ष 2021-22 का संशोधित बजट अनुमानों पर व्यापक चर्चा के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधी डॉ. मो० नईम द्वारा कहा गया कि क्षेत्रीय केन्द्रों के भवनों हेतु भूमि/भवन के आवंटन के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर प्रेषित किया जाए उन्होंने सदन को यह भी अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा सविधान पार्क हेतु रू० 3246677/- (तीन करोड चौबिस लाख छियासठ हजार तीन सौ सत्तर रू०) की स्वीकृति जारी कर दी है। सदस्य श्री गोपाल सिंह जी द्वारा अकादमिक कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार तथा ठीक से प्रस्तुतीकरण एवं संप्रेषण हेतु मार्केटिंग कंसलटेंट की नियुक्ति करने एवं विश्वविद्यालय परिसर में मिनी आक्सीजोन के लिए प्लांटेशन करने का सुझाव दिया। सदन द्वारा उक्त सुझावों पर सहमति व्यक्त की गई।


उक्त चर्चा उपरांत बजट प्रावधानों एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलंस शीट का भी अनुमोदन किया गया।

63/03

राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा परिचर्या नियमों के स्थान पर RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) योजना को विश्वविद्यालय कार्मिकों एवं पेंशनर्स के लिए लागू किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

सदन द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किए जाने के बाद विश्वविद्यालय कार्मिकों एवं पेंशनर्स के लिए RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) योजना लागू किए जाने का अनुमोदन किया गया। उक्त योजना दिनांक 01 अप्रैल 2004 के उपरांत नियुक्त कार्मिकों के लिए लागू कर दी गई है एवं 01 अप्रैल 2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरांत बैठक समाप्त घोषित की गई।


(डॉ० मो० अख्तर खान)
नियंत्रक (वित्त) एवं
सचिव, वित्त समिति

